

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/ 484

दिनांक:-7-3-19

आदेश

निम्नांकित कार्मिकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर. एस.आर. के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र. स. | कर्मचारी का नाम                                    | पदस्थापन स्थान   | अवकाश का विवरण   |
|---------|--|--|--|
| 1.      | सुनीता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता          | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसाना, ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़।     | दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 12.04.2020 से 09.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 10.08.2020 से 11.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश। |
| 2.      | सुनीता मांझू महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता            | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोगामेड़ी, ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़। | दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 12.04.2020 से 09.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 10.08.2020 से 11.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश। |
| 3.      | सुमन कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता            | उपस्वास्थ्य केन्द्र जीणवार, खण्ड कुचामनसिटी जिला नागौर।          | दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 11.04.2020 से 02.07.2020 तक 83 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 03.07.2020 से 10.04.2021 तक 282 दिवस का असाधारण अवकाश।  |
| 4.      | दीपा चायल, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता              | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर जिला नागौर।                  | दिनांक 28.12.2017 से 27.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 28.12.2019 से 29.03.2020 तक 93 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 30.03.2020 से 27.12.2020 तक 273 दिवस का असाधारण अवकाश।  |
| 5.      | जमना कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता            | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारजा खण्ड पिण्डवाडा, जिला सिरोही।   | दिनांक 22.05.2018 से 21.05.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 22.05.2020 से 18.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।  |
| 6.      | सुशीला कुमारी, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | उपस्वास्थ्य केन्द्र, डीडस (सिवाना) जिला बाड़मेर।                 | निदेशालय के आदेश क्रमांक 376 दिनांक 14.03.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में:-<br>दिनांक 06.04.2018 से 07.10.2018 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश।                                 |
| 7.      | वर्षा कुमावत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता           | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्ड गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।         | दिनांक 27.12.2017 से 26.12.2019 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 27.12.2019 से 14.02.2020 तक 50 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 15.02.2020 से 26.12.2020 तक 316 दिवस का असाधारण अवकाश।  |
| 8.      | मंजू तेली, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता              | उपस्वास्थ्य केन्द्र केली, खण्ड गिर्वा जिला उदयपुर।               | दिनांक 14.04.2018 से 13.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 14.04.2020 से 21.07.2020 तक 99 दिवस का उपार्जित अवकाश।<br>दिनांक 22.07.2020 से 13.04.2021 तक 266 दिवस का असाधारण अवकाश।  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 9  | किरण मीणा<br>महिला स्वास्थ्य<br>कार्यकर्ता | उप स्वास्थ्य केन्द्र<br>मट्टूण खण्ड गिर्वा<br>जिला उदयपुर।      | दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।<br>दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का 'उपार्जित अवकाश'।<br>दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण<br>अवकाश। |
| 10 | सीमा, महिला<br>स्वास्थ्य<br>कार्यकर्ता     | उप स्वास्थ्य केन्द्र,<br>नयासर खण्ड<br>झुंझुनू जिला<br>झुंझुनू। | निदेशालय के आदेश क्रमांक 481 दिनांक 11.04.2016 द्वारा स्वीकृत अध्ययन<br>अवकाश की निरन्तरता में:-<br>दिनांक 11.04.2018 से 10.10.2018 तक 183 दिवस का असाधारण<br>अवकाश।                                |

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/ 484

दिनांक:- 7-3-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रधानाचार्य संबंधित नर्सिंग संस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर